न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शिवचरण बनाम हरिनारायण मु.नं.– 05/23 किस्म – T.E.	
	17.7.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.7.25 को पेश हो। [signature]	
	18.7.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.7.25 को पेश हो। [signature]	
	22.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर पत्रावली में दिनांक 03.02.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05/2023	03.02.2023	22.07.2025

बउनवान

1. शिवचरण मीना पुत्र जयलाल मीना, निवासी महूखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. हरिनारायण मीना पुत्र ख्यालीराम, निवासी महूखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. रामहरी मीना पुत्र ख्यालीराम, निवासी महूखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. हरलाल मीना पुत्र पूरण, निवासी महूखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. बनवारी मीना पुत्र पूरण, निवासी महूखुर्द, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजी खेवट खतोनी संख्या नई 76 पुरानी 31 के खसरा सं. 26 रकबा 0.08 हैक्टे. गैर मुमकिन चाह कुल किता 01 कुल रकबा 0.08 हैक्टे., वाके ग्राम महूखुर्द, पटवार हल्का महूखुर्द तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 2/5 हिस्सा है। विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजीयात प्रार्थी की गै. मु. चाह खातेदारी की भूमि है जिसका राजस्व कर्मचारियों से दिनांक 24.01.2022 को सीमाज्ञान भी करवा लिया गया जिस पर प्रार्थी अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग कर लाभांन्वित होता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का एक नाजायज गिरोह बना हुआ है और अप्रार्थीगण जो कि बाहुबली है एवं भू–माफिया है जो कि वे जवरन प्रार्थी की गरीवी व असहाय व्यक्ति है, का नाजायज लाभ उठाकर भूमि पर जवरन लाठी के जोर पर पुख्ता निर्माण कर विवादित आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है और ऐलानियां कह रहे है कि हम लाठी के बल पर विवादित आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर अपना नाजायज पुख्ता निर्माण कर कब्जा करके रहेगे व प्रार्थी को उसकी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं करने देगे। अप्रार्थी जवरन येनकेन प्रकारेण जबरिया तोर प्रार्थी की कमजोरी व असहाय व अकेला होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि पर अपना पुख्ता निर्माण कर कब्जा करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया व निर्माण कर लिया तो मौके पर भारी संगीन वारदात होगी तथा मिनख मरायी की पूरी–पूरी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सूरत पैदा होगी। दिनांक 05.01.2023 को अप्रार्थीगण अपने मददगारान को साथ लेकर प्रार्थी को उसके हक हिस्से व अधिकारात की भूमि मुतदाविया से बेदखल कर स्वयं का नाजायज जबरिया कब्जा करने की नीयत से आये और जबरन प्रार्थी की भूमि पर पत्थर बजरी डालना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने मना किया तो आमादा फिसाद हो गये तथा अप्रार्थीगण ऐलानियां धमकी दे रहे है कि मौका मिलने पर प्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी की भूमि पर अपना जबरिया कब्जा कर जबरन पुख्ता निर्माण करके कब्जा करके रहेगे। अप्रार्थीगण जो कि खूंखार किस्म के लोग है तथा भूमि पर आये दिन नाजायज जबरिया कब्जा करने के लिये आमादा फिसाद करते रहते है तथा कब्जा करने की धमकियां देते रहते है। अगर अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगे। ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने नौकरों, एजेन्टों, घरवालों या अन्य मददगारान के विवादित आराजी में प्रार्थी के इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, प्रार्थी की भूमि में किसी भी प्रकार का जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से, किसी भी प्रकार खाम या पुख्ता निर्माण करने से, स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के पाबंद रहे। भूमि मुतदाविया व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 03.02.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम महूखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 26 के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रार्थी की भूमि में किसी भी प्रकार का जबरिया कब्जा करने की कोशिश या किसी भी प्रकार खाम या पुख्ता निर्माण ना तो स्वयं या ना ही अपने नौकरों, घरवालों या अन्य मददगारान से करावें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त जमीन को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त जमीन को अप्रार्थी सं. 1 ने क्रय कर निर्माण किया है। प्रार्थी का उपरोक्त अप्रार्थी सं. 1 द्वारा क्रय की गयी जमीन से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार व वास्ता नहीं है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थी सं. 1 को हैरान परेशान करने की नीयत से गलत व बनावटी तथ्यों पर यह दावा व दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण का कोई नाजायज गिरोज नहीं बना हुआ है और ना ही अप्रार्थी बाहुबली व भूमाफिया है। यदि अप्रार्थी सं. 1 को जबरन जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया गया तो अप्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थी सं. 1 अपने जायज हक अधिकारों की भूमि से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा। अप्रार्थी सं. 1 कोई झगडा फिसाद नहीं करता है बल्कि अपने कब्जे व खरीद शुदा भूमि जमीन पर रहकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबरिया कोई कब्जा विवादित आराजीयात पर नहीं किया है बल्कि अप्रार्थी सं. 1 की क्रय शुदा भूमि है। यदि अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किया गया तो अप्रार्थी सं. 1 अपने जायज हक हकूक की क्रय शुदा भूमि से जबरन बेदखल हो जायेगा व अप्रार्थी सं. 1 की अपूर्तनीय क्षति कारित हो जायेगी व अप्रार्थी सं. 1 बर्बाद हो जायेगा। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने विवादित आराजीयात को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त जमीन पर अप्रार्थी ने क्रय कर ही निर्माण किया है। प्रार्थी का उक्त जमीन से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने महज विपक्षी को हैरान व परेशान करने की नीयत से गलत तथ्यों व बनावटी तथ्यों पर यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने उक्त दावा कतई गलत, मनगढन्त व बेबुनियाद तथ्यों पर महज अप्रार्थी सं. 1 को हैरान व परेशान व बर्बाद करने की गरज से पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

***212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध** – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या.

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, प्रार्थी विवादित आराजी का दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 तथा 2 के द्वारा विवादित भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उसके उपरान्त ही उक्त जमीन पर निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी सं. 1 के इस कथन पर प्रार्थी अभिभाषक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध अप्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि पर निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र में वर्णित अन्य कथन वाद में साक्ष्य उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्धारित किये जा सकेंगे। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस स्तर पर इस प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना उचित नहीं है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम महुखुर्द, पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजी खसरा 26 रकबा 0.08 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2023 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 22.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)